

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-45/2015/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

1. कलेक्टर,
जिला जबलपुर
2. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
जबलपुर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जबलपुर
4. आयुक्त
नगर निगम जबलपुर ।

विषय :- जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक 2/12/2015

संख्या	1800
दिनांक	04/12/15
शाखा	
अधीन	
संचालक	

पृ0क0-एफ 3-45/2015/18-5
प्रतिलिपि :-

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Suport
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 2/12/2015

क्रमांक-एफ-3-45/2015/18-5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र०	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम तेवर	34 / 10, 34 / 1129 / 1, 36, 37, 494, 495 / 2, 500 / 3, 500 / 4, 502, 503, 504, 505 / 3, 506 / 1, 508, 509, 413	11.670 हेक्टेयर	कृषि एवं वर्तमान मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (स्वास्थ्य वं शैक्षणिक संस्था) एवं मार्ग शर्त:- 1.प्रश्नाधीन भूमि के मध्य स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक-505 / 2, (सीलिंग), 506 / 2 (सीलिंग) एवं 507 (कोटवार) को अभिन्यास अनुमोदन के समय पृथक से खुला छोड़ना एवं स्पष्ट पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । 2.आवेदक का स्वयं के व्यय से जल-मल निकासी

					<p>एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रावधान करना होगा।</p> <p>3.राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी भूमि का उपयोग करने पर भारत सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा।</p>
		योग-	11.670 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एस के मुदगल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
27/11/2018

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 02.12.2015

No. F-3-45/15/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (b) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Jabalpur Development Plan 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Tevar	34/10, 34/1129/1, 36, 37, 494, 495/2, 500/3, 500/4, 502, 503, 504, 505/3, 506/1, 508, 509, 413	11.670 hec.	Agriculture and existing road	Public and Semi public (Health and educational institute) <u>Conditions :-</u> 1. Government land Khasra no. 505/2(ceiling), 506/2 (ceiling) and 507(Kotwar) situated in the middle of land in question shall be kept open and clear approach road provided at a time of layout approval. 2. Applicant shall be liable to undertake drainage and sewage, and solid waste management arrangements on his own expenses. 3. Permission shall be taken from road transport highway ministry, Government of India for using land adjoining national highway.
		Total	11.670 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Jabalpur as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,



(S.K. Mudgal)
Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Environment Department